सुरक्षा एवं सहयोग

मानव अधिकार मिशन
HUMAN RIGHTS MISSION

मुख्य संरक्षक
जस्टिस केजी बालाकृष्णन
पूर्व अध्यक्ष
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

संरक्षक
श्रीमति ज्ञान सुधा मिश्रा
पूर्व जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट

संरक्षक
श्रीमति ममता शर्मा
पूर्व अध्यक्ष
राष्ट्रीय महिला आयोग

डॉ. महेंद्र शर्मा
संस्थापक/ चेयरमैन

"जानें अपने मानवाधिकार"

Central Office :- 2/13, Julena Commercial Complax, Okhla Road, New Delhi-110025
Mob: 9716164004, Helpline: 011-65754004, 8882390101, FAX:- 011-26914348
Extn. office:- U-4, 1st Floor Suneja Bhawan, Near Metro Pillar No. 692
16/6 Mathura Road Faridabad, Phone No. 0129-2222220, 2222206
email:- hrmidelhi@gmail.com, presidenthrm@gmail.com
Web: www.hrmi.co.in

मानवाधिकारः- धारा-21 घ- मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम-1993

मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के ऐसे अधिकार से है जो उसके जीवन,स्वतंत्रता,समता एंव गरिमा से सम्बद्ध है। और जो संविधान द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ,द्वारा प्रत्याभूत किये गये है तथा न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है।

परिभाषित मानवाधिकारों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत संरक्षणः-

उक्त मानवाधिकारों को भारतीय संविधान के भाग-3 में मूलाधिकार के रूप में अनुच्छेदों के अंर्तगत संरक्षण प्रदान किया गया है।

समता का अधिकारः-

संविधान में समता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया है।

अनुच्छेद-14 विधि के समक्ष समताः-

राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-15 धर्म मूलवंश, जाति, स्थान, लिंग एंव भाषा के आधार पर विभेद का प्रतिबन्धः-

कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग,जन्मस्थान अथवा भाषा के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों आदि में प्रवेश अथवा पूर्णतः अथवा अंशतः राज्यनिधि से पोषित अथवा साधारण जनता के प्रयोग हेतु समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सडकों एंव सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग में विभेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद-16 लोक नियोजन में अवसर की समानता-

सभी नागरिकों को नियोजन से पूर्व अथवा उसके पश्चात उससे संबंद्ध सभी मामले जैसे कि प्रारम्भिक नियुक्ति, वेतन, प्रोन्नति, सेवा समाप्ति, अनुशासनिक कार्यवाही, छुट्टी, सेवानवृति एंव पेंशन आदि में एक प्रकार की सेवा के अभ्यार्थियों अथवा एक प्रकार की सेवा के कर्मचारियों के बीच समानता प्रदान की जायेगी।

अनुच्छेद-17 अस्पृश्यता का अंत-

देश, राज्य एंव प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जाति-पाति, ऊंच-नीच से ग्रसित होकर छुआ-छूत अथवा भेद-भाव का आचरण करना दण्डनीय अपराध होगा। जिसके लिए संसद ने 'सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955' बनाया जिसमें स्पृश्यता सम्बन्धी अपराधों की जांच प्रकिया एंव दण्ड का उपबन्ध किया गया है।

अनुच्छेद-18 उपाधियों का अंत-

इस अनुच्छेद के द्वारा सामन्ती अथवा अंग्रेजी शासनकाल की भॉति कुछ खास-खास व्यक्तियों को विशिष्ट उपाधियॉ प्रदान करने को प्रतिबन्धित कर सामान्य वर्ग के बीच वर्ग विभाजन एवं असमानता की भावना का अन्त किया गया है। परन्तु शिक्षा, विज्ञान कला, खेल, देश-सेवा आदि के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से भारत-रत्न, पद्म विभूषण, पदमश्री, परमवीर चक्र, आदि राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करने की व्यवस्था की गयी हैं जो किसी विशिष्ट पदवी के समान नहीं है तथा उनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद-19 स्वतंत्रता का अधिकार-

संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्न्तगत देश के सभी नागरिकों के निम्न अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

क. वाक एंव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता **ख.** शान्तिपूर्ण तथा निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता **ग.** एसोसियेशन, संघ बनाने की स्वतंत्रता **घ.** भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता **ड़.** भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता **च.** कोई वृति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता।

अपवाद- निम्न परिस्थितियों में स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बन्धित किया जा सकता है। 1.राज्य की सुरक्षा 2.विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध 3.लोक व्यवस्था 4.शिष्टाचार अथवा सदाचार 5.मानहानि 6.न्यायालय की अवमानना 7.अपराध कुद्दीपन के मामले 8.भारत की प्रभुता एंव अखंण्डता।

अनुच्छेद-20 अपराधों के लिये दोषसिद्ध के विरूद्ध अधिकार-

क. कार्योत्तर विधियों से संरक्षण (Protection from ex-postfacto laws) ख.दोहरे दण्ड से संरक्षण (Protection from Double jeopandy) स्वयं के विरूद्ध होने से संरक्षण (Protection from self incrimination)

अनुच्छेद-21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार-

समस्त अधिकारों में सर्वश्रेष्ठ अनुच्छेद 21 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इस कारण इस अधिकार को आपात काल में भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। जबकि अन्य को सम्यक एंव युक्ति युक्त विधि प्रक्रिया के द्वारा प्रतिबन्धित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूलाधिकार देश के नागरिकों तक ही सीमित नहीं है अपितु यह व्यक्तियों को प्राप्त है।

अनुच्छेद-21 प्राण एंवदैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्न मूलाधिकार सम्मिलित हैं-

1. प्राण का अधिकार 2. गरिमा के साथ जीने का अधिकार 3. जीविकोपार्जन का अधिकार 4.आश्रय का अधिकार 5.स्वस्थ वातावरण में जीने का अधिकार 6. शिक्षा का अधिकार 7.दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 8.एकान्तता का अधिकार 9.चिकित्सकीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार 10.सिद्धदोष एंव विचाराधीन कैदियों के अधिकार 11.निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार 12. शीघ्रतर परीक्षण का अधिकार 13.जेल के भीतर लोगों से मिलने का अधिकार 14.निवारक निरोध के आधीन निरूद्ध व्यक्तियों के अधिकार 15.मूलाधिकार हनन होने पर क्षतिपूर्तिप्राप्त करने का अधिकार।

अनुच्छेद–22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण–

1.गिरफ्तारी के कारणों को अतिशीघ्र जानने का अधिकार 2.अपनी मर्जी की अधिवक्ता से परामश्र करने तथा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार 3.गिरफ्तारी के 24 घंटे की अवधि में किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये जाने का अधिकार 4.निरोध का आधार जानने तथा उसके विरूद्ध आवेदन करने का अधिकार अनुच्छेद–23 शोषण के विरूद्ध अधिकार–मानव के दुर्व्यापार तथा बलातश्रम वेगार का प्रतिनिषेध। अनुच्छेद–24 कारखाने आदि जोखिम भरे कार्यो में बालकों के नियोजन का प्रतिनिषेध।

अनुच्छेद 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

पुलिस द्वारा मानवाधिकार–हनन के विरूद्ध संरक्षण का अधिकार

पुलिस द्वारा मानवाधिकारों का हनन रोकने एंव कार्यप्रणाली में सुधार के उद्देश्य से माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 18.12.1996 को डी के वसु–बनाम–स्टेट आफॅ बंगाल मामले में गिरफतारी एंव निरोध के संदर्भ में पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण निम्न निर्देश / आदेश पारित किये हैं।

1. किसी व्यक्ति की गिरफतारी करते समय तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से पूछताछ करते समय पुलिस कर्मियों को अपने नाम एंव अपने पद की साफव स्पष्ट दृष्टिमान पटिटका धारण करनी होगी जिन्हें एक पंजिका में दर्ज किया जायेगा।

2.गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी को गिरफ्तार करते समय एक ज्ञापन तैयार करना होगा। जिससे गिरफ्तारी के दिनांक ,समय व स्थान का उल्लेख किया जायेगा।और वह गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा। साथ ही उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा गिरफ्तार स्थल पर उपस्थित संभ्रान्त व्यक्ति द्वारा सत्यापित कराया जायेगा।

3.गिरफ्तारी के समय तैयार ज्ञापन को सत्यापित करने वाला संभ्रान्त व्यक्ति गिरफ्तार किये गये व्यक्ति का रिश्तेदार, मित्र अथवा परिचित न होने की दशा में उसे अपने मित्र,रिश्तेदार, परिचित अथवा उसके कल्याण में दिलचस्पी रखने वाले को अपनी गिरफ्तारी एंव निरूद्ध स्थल के बारे में यथा सम्भव शीघ्र सूचित करवाने का अधिकार होगा।

4.गिरफ्तारी की दिनांक, समय व स्थान तथा अभिरक्षा स्थल को पुलिस द्वारा अधिसूचित किया जाना नितान्त आवश्यक है।जहॉ गिरफ्तार व्यक्ति के परिचित, मित्र अथवा रिश्तेदार जिले अथवा कस्बे से बाहर रहते हों तो उसके पुलिस क्षेत्र के पुलिस थाना विधिक सहायता संगठन के माध्यम से तार द्वारा गिरफ्तारी के8–12 घंटों के भीतर गिरफ्तारी का समय, स्थान एंव अभिरक्षा सील के बारे में सूचित किया जायेगा।

5.जैसे ही व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा निरूद्ध किया जाता है। गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना भिजवाने संबंधी अधिकार से जागरूक किया जायेगा।

6.गिरफ्तारी संबंधी सूचना प्रेषित करने का पूर्ण विवरण तथा उस पुलिस अधिकारी का नाम जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति हो आदि के सम्बन्ध में निरोध के स्थान पर डायरी में स्पष्ट प्रविष्टी की जायेगी।

7.गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफतारी के समय अपनी जॉच कराये जाने का निवेदन करने का अधिकार होगा। निरीक्षण ज्ञापन में उसके शरीर पर मौजूद छोटी–बडी चोटें अभिलिखित कर उसके एंव गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे तथा निरीक्षण ज्ञापन की एक प्रति उसको प्रदत्त की जायेगी।

8. सम्बन्धित राज्य अथवा केन्द्रशासित प्रदेश के स्वास्थय निदेशक द्वारा सभी जिलों व तहसील स्तर पर चिकित्सकों की एक तालिका तैयार की जायेगी और पुलिस रिमाण्ड में लिये गये मुल्जिम की प्रत्येक 48 घंटे पर उस स्वीकृति तालिका में से किसी चिकित्सक द्वारा चिकित्सकीय जांच कराई जायेगी।

9. गिर्फतारी ज्ञापन समेत समस्त दस्तावेजों की प्रतियॉ जो कि उपर्युक्त संदर्भित है, इलाके के मजिस्ट्रेट को उस अभिलेख के लिए भेजी जायेगी।

10. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं, अपने वकील से मिलने की अनुमति दी जायेगी।

11. सभी जिले तथा राज्य मुख्यालयों में पुलिस नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिये, जहॉ गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की गिरफ्तारी और अभिरक्षा के स्थान के बारे में संसूचना गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर भेजी जायेगी और पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे ध्यानाकर्षी सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश

1. पुलिस महा–निरीक्षक तथा प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के गृह सचिव को अग्रसारित किया जाये और उनके प्रभार के अधीन प्रत्येक थाने में उसे ध्यानाकर्षी स्थान पर अधिसूचित किया जाये। जनहित में इन निर्देशों को दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम पर दिखाने तथा आम लोगों को सूचनार्थ इन्हें अन्तर्विष्ट करते हुये स्थानीय भाषा की पुस्तिकाओं में प्रकाशित तथा वितरित किया जाये।

2. उपरोक्त निर्देषों के पालन में असफल रहने पर सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

3. विभागीय कार्यवाही के साथ–साथ वह न्यायालय की अवमानना के लिये भी दण्डित किया जायेगा। अवमानना की कार्यवाही सम्बन्धित प्रदेश के उच्च न्यायालय में चलाई जा सकेगी।

पुलिस रेग्यूलेशन के अन्तगर्त मानवाधिकार संरक्षण

1. थाने पर जो भी पीडित आये उसकी रिपोर्ट अवश्य लिखी जायेगी तथा उसको समुचित धाराओं में पंजीकृत करके उसकी प्रतिलिपि पीडित व्यक्ति को निःशुल्क उपलब्ध कराई जायेगी। 2. गिरफतार किये गये व्यक्ति को जब थाने में निरूद्ध किया जायेगा तो उसे नियमानुसार भोजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।3. किसी भी महिला को थाने पर अकारण नहीं रोका जायेगा। 4.श्रमिकों की समस्याओं विशेषकर महिला श्रमिकों को संवेदनशीलता के साथ सुना जायेगा एंव उनका निराकरण किया जायेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत मानवाधिकार संरक्षण

1.यदि किसी व्यक्ति को साक्ष्य हेतु थाने पर बुलाया जाता है तो उसे उचित यात्रा व्यय दिया जायेगा–धारा–160/2
2.गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर सक्षम न्यायालय/मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जायेगा। धारा–167 अपवाद इस समय सीमा की गणना गिरफ्तारी के स्थान से सक्षम मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवशयक समय के अतिरिक्त होगी।
3.यदि किसी अपराधी से कोई बरामदगी की जाती है तो उसे उसकी रसीद दी जायेगी तथा कुर्क किये गये माल की उचित सुरक्षा भी की जायेगी। धारा–151।
4. यदि किसी व्यक्ति से जमानतीय अपराध कारित हुआ है और कोई अन्यथा कारण नहीं है तो उसकी जमानत थाने पर ही ली जायेगी। धारा–436

अवैध गिरफ्तारी के समय उठाये जाने वाले आवश्यक कदम

1.पुलिस उत्पीडन/अवैध गिरफ्तारी के तुरंत बाद टेलीग्राम/फैक्स/रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुलिस उच्चाधिकारी, जिला अधिकारी, राष्ट्रीय राज्यीय मानवाधिकार आयोग एंव मानवाधिकार न्यायाधीश को सूचित करें।
2.शिकायत में यथासम्भव उत्पीडनकर्ता पुलिसकर्मियों के नाम का अवश्य उल्लेख करें।
3. उत्पीडन/अवैध गिरफ्तारी का समय,दिनांक एंव स्थान का स्पष्ट उल्लेख करें।
4. जब तक पुलिस आपके व्यक्ति को रिहा नहीं करती है इस तरह के तार 6–8 घंटे बाद लगातार भेजते रहें तथा उनकी प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करते रहें।
5. अवैध गिरफतारी के स्थान के आसपास के व्यक्तियों की गवाही हेतु शपथ प्राप्त करें।
6. पुलिस द्वारा छोडे जाने के पश्चात् तुरंत जिला अस्पताल से पीडित का स्वास्थय परीक्षण करायें।
7. पुलिस प्रताडना से हिरासत में मृत्यु होने पर शव का पोस्टमार्टम अवश्य करायें।
8. पुलिस हिरासत में मृत्यु हो जाने की सूचना जिलाधीश, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार मंत्रालय तथा मानवाधिकार न्यायालय के न्यायाधीश को अवश्य प्रेषित करें।
9. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अथवा जनपद में स्थापित मानवाधिकार न्यायालय में क्षतिपूर्ति की याचिका दायर करें और राज्य से क्षतिपूर्ति प्राप्त करें।
10. क्षतिपूर्ति याचिका पीडित के परिवार/सगे–सम्बन्धी/मित्र मानवाधिकार मिशन अथवा किसी भी पंजीकृत संगठन द्वारा प्रस्तुति की जा सकती है।
11. क्षतिपूर्ति याचिका में राज्य सरकार एंव उत्पीडनकर्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी बनायें परन्तु विभाग अथवा उत्पीडनकर्ता के विरूद्ध करायें जिससे उत्पीडनकर्ता के पद को याचिका में शामिल न करें।
12. पुलिस उत्पीडन की एफ0 आई0 आर0 उत्पीडनकर्ता के विरूद्ध करायें जिससे उत्पीडनकर्ता के विरूद्ध आपराधिक न्यायालय द्वारा उसके कृत्य के लिए दण्डित किया जा सके। क्योंकि राष्ट्रीय/राज्य मानवाधिकार आयोग अथवा जनपदीय मानवाधिकार न्यायालय में क्षतिपूर्ति हेतु दायर याचिका का प्रभाव उत्पीडनकर्ता के विरूद्ध सम्बन्धित अपराध न्यायालय में दंण्ड हेतु चल रहे मुकद्दमें पर बिल्कुल नहीं पडेगा दोनों वाद अलग–अलग चलते रहेंगे।
13. यदि पुलिस द्वारा माननीय उच्चतम नयायालय के डी0 के0 बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगााल वाद में दिनांक 18.12.1996 को मानवाधिकार संरक्षण हेतु पुलिस थानों के लिए दिये गये 11 निर्देशों की अवहेलना करने पर प्रदेश के उच्च न्यायालय में उनके विरूद्ध अवमानना का रिट दायर करें।
14. प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर से यदि आपके अधिकारों का हनन किया जा रहा हो तो उसकी लिखित उच्च अधिकारियों अथवा सरकार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। निराकरण न होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध आयोग अथवा मानवाधिकार न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें।

क्या आप पीड़ित हैं?

समाज से - प्रशासन से - अथवा किसी अन्य से

आपकी सुनने वाला कोई नहीं है। आपका कोई मददगार नहीं है। आपको न्याय नहीं मिल रहा है। यहां तक की आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है।

तो आप परेशान क्यों हैं?

हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर हैं, हमारे कार्यालय में आएं और अपनी उत्पीड़न सूचना रिपोर्ट (T.I.R) दर्ज करवाएं।